कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰, ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक ९५६ /13सी॰ दिनांक २३/05/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः— जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.500 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। Purposal No FP/UK/ROAD/39084/2019

सन्दर्भः— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्द्रिानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2763/12—1 देहरादून दिनांक 17.04.2025

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको संबोधित तथा इस कार्यालय को प्रतिलिपि के रूप में प्रेषित है का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसमें नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा वर्णित है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, संशोधित 2023 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईडलाईन दिनांक 17.12.2024 के बिन्दु संख्या (i) में दी गई व्याख्या के अनुसार सी0ए0 हेतु चयनित क्षेत्र को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित/नामतरित किया जा चुका है, जिसके कम में उक्त प्रकरण को अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जा सकता है, किन्तु भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त गाईडलाईन के बिन्दु (ii) के अनुसार सी0ए0 हेतु चयनित क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना भी उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है।

पत्र में यह भी वर्णित है कि यदि आपके द्वारा सी0ए0 क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना की कार्यवाही कर ली गयी है तो उससे सम्बन्धित अभिलेख नोडल अधिकारी कार्यालय को भेजे जाने हैं, अन्यथा सी0ए0 क्षेत्र की, शासन स्तर से अधिसूचना जारी किए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से उक्तानुसार यथावश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें तथा इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। इस प्रकरण से सम्बन्धित अन्य जानकारी हेतु सहायक अभियन्ता श्री नरेन्द्र कुमार से सम्पर्क किया जा सकता है। (फोन नं0 9557800932)

23/5/25
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰
ऊखीमठ

पत्रांक /13सी॰ दिनांक /05/2025

प्रतिलिपिः—जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः—श्री नरेन्द्र कुमार सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो॰नि॰वि॰ ऊखीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— कनिष्ठ अभियन्ता एवं खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड लो॰नि॰वि॰ ऊखीमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो॰नि॰वि॰,ऊखीमठ

इ. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता :- माई की मढ़ी निकट जवाड़ी बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 3765 / 12–1(2) दिनांक 15/05 /2025::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी

विषय :- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/39084/2019**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 179 / 2020 / एफ.सी. / 98 दिनांक 22.04.2021, पत्र सख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 179 / 2020 / एफ.सी. / 1076 दिनांक 30.12.2024, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सख्या–1827 / 12–1 दिनांक 10.01.2025 तथा आपकी पत्र सख्या–1421 / 12–1 दिनांक 06.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–3(ख) के अनुपालन में तथा उक्त सन्दर्भित पत्रों में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में **(क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित कर अधिसूचना की प्रति)** वांछित सूचना पूर्व में ही इस कार्यालय के पत्रांक–3695 / 12–1(2) दिनांक 12.05.2023 के द्वारा मूल सहित तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर को प्रेषित करते हुये भारत सरकार, नोडल कार्यालय एवं संबंधित प्रस्तावक विभाग को अवगत कराया जा चुका था। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित भूमि केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, गोपेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग के क्षेत्रान्तर्गत है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल 1.0 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में प्रभाग स्तर पर कोई भी अभिलेख ऑनलाईन अपलोड करने का विकल्प लॉक हो जाता है, जिस कारण प्रभाग स्तर से उक्त सूचना परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड नही की जा सकी।

अतः प्रकरण में वांछित (पूर्व में प्रेषित सूचना मय संलग्नक) सूचना संलग्न कर आपको परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 3765 /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3:– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

(कल्याणी)
उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

O/C

ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :– +91-8126660575::
पता –: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :– 3695 /12–1(2) दिनांक 12/05 /2023::

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्य जीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/39084/2019**

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/179/2020/एफ.सी./240 दिनांक 19.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में कुल प्रभावित 4.50 है0 वन भूमि आपके वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत है तथा प्रभावित भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–न्यालसू 9.00 है0 सिविल भूमि इस वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत चयनित की गई है। उक्त चयनित भूमि के संबंध में भारत सरकार स्तर से वांछित 02 बिन्दुओं की सूचना कॉलमवार/बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है–

बि. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि धनराशि रु. 33,38,118/– हेतु संशोधित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	धनराशि रु. 33,38,118/– हेतु संशोधित सी.ए. (सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन) स्कीम संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3(ख) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित करने की अधिसूचना कार्यविधि है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयाम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रुप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें तथा अधिसूचना से संबंधित दस्तावेज को संबंधित वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3(ख) के अनुपालन में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का म्यूटेशन आदेश की प्रति **संलग्नक–2,** अमलदरामद की प्रति **संलग्नक–3** (सिविल और सोयम भूमि) तथा उक्त क्षेत्र को आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न हैं। **(संलग्नक–4)**

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (मूल सहित तीन प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 3695 /दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

o/c

PDF Scanner ACE Scanner

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम–न्यालसू श्रेणी–9(ख)(2)– (अन्य प्रकार के वृक्ष जंगल झाड़िया व लम्बी घास) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–26 के खसरा संख्या–822 रकवा–5.437 है0 मध्ये–5.437 है0 तथा खसरा संख्या–823 रकवा–3.794 है0 मध्ये–3.563 है0 अर्थात् कुल रकवा–9.00 है0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पत्रांक–5020/छब्बीस–17/2020–21 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयीं है। अधिसूचना संख्या–869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष मे कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक–2469 / 12-1 दिनांकित पौड़ी 01/04/2023

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. संबंधित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

संलग्नक -①

परियोजना का नाम :- जनपद–रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत त्रियुगीनारायण से तोषी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.50 है0 वन भूमि के एवज में दोगुनी 9.00 है0 सिविल भूमि पर सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य करना एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण प्राक्कलन।

वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम– न्यालसू सिविल भूमि क्षेत्रफल– 9.00 है0

प्रभाग :– **रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग** रेंज का नाम :– **गुप्तकाशी यूनिट**

क्र. सं.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है0)	दर	इकाई	धनराशि
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	9.00	168.00	प्रति है0	1512.00
2	वन निधि गणना पुर्नजनन सर्वे कार्य	9.00	650.00	प्रति है0	3900.00
3	पुर्नरोत्पादन सर्वेक्षण का डाटा विश्लेषण एवं मूल्यांकन	9.00	500.00	प्रति है0	4500.00
4	सैम्पल प्लाट रखरखाव (1 सैम्पल प्लाट प्रति है0 में)	9.00	200.00	प्रति है0	1800.00
5	विरलन हेतु आवश्यक वृक्षों की प्रगणना	9.00	100.00	प्रति है0	900.00
6	पुर्नरोत्पादन क्षेत्र में झाडी कटान व हानिकारक प्रजातियों का हटाया जाना (माह जुलाई एवं फरवरी में)	9.00	6500.00	प्रति है0	58500.00
7	क्षेत्र की घेरबाड़ पत्थर दीवर बंदी/तार बाड़	9.00	50000.00	प्रति है0	450000.00
8	घेरबाड़ के किनारे 1 मी0 पर झाडी. प्रजातियों का रोपण	9.00X150=1350 र0मी0	25.00	प्रति र0मी0	33750.00
9	कन्टूर ट्रन्च निर्माण 3X0.45X0.30 मी0	9X235=2115 र0मी0 2115X0.45 X0.30=285.525 र0मी0	275.00	प्रति र0मी0	78519.37
10	अग्रिम मृदा कार्य 30X30X45 से0मी0	9.00X200=1800 No	11.00	प्रति नग	19800.00
11	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य वानस्पतिक तथा अभियांत्रिक	9.00	–	प्रति है0	1482537.00
12	पहुंच मार्ग तक निरीक्षण बटिया निर्माण	3 किमी0	15000.0	प्रति किमी0	45000.00
13	सिंगलिंग, प्रोनिंग, शाखा कर्तन तथा अन्य वन वाधिनिकी कार्य	9.00	1100.00	प्रति है0	9900.00

14	अभिलेखीकरण व्यय, वाहन हेतु पैट्रोल, डीजल, श्रमिक छप्पर, संकेत पट, फोटोग्राफी आदि पर व्यय	9.00	2500.00	प्रति है0	22500.0
	वृक्षारोपण कार्य				
15	गड्डा भरान, वृक्षारोपण मय पौध की कीमत, ढुलान व अन्य व्यय	1800 No	50	प्रति पौध	90000.00
16	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	7माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	63000.00
	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष				
17	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00
	अनुरक्षण तृतीय वर्ष				
18	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00
	अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष				
19	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00
	अनुरक्षण पंचम वर्ष				
20	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00
	अनुरक्षण छटवां वर्ष				
21	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, वीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00

संलग्नक -1

		अनुरक्षण सातवां वर्ष			
	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00
		अनुरक्षण आठवां वर्ष			
23	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00
		अनुरक्षण नौवां वर्ष			
24	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, ,गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00
		अनुरक्षण दसवां वर्ष			
25	क्षेत्र की सुरक्षा, पौधों की देखरेख, मृत पौध बदलना, बीज बुआन व घास रोपण, निराई, गुडाई व अग्नि सुरक्षा हेतु व्यय	12माहX1000X9	1000.00	प्रति माह / है0	108000.00
		कुल योग			**3338118.00**

यूनिट अधिकारी
गुप्तकाशी

(भरतसिंह राणा)
व0 दरोगा

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग